न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0 के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1385–दो/2004 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–9–2004 पारित व्दारा – आयुक्त, सागर संभाग, सागर – प्रकरण क्रमांक 88 अ 70/2001–02 अपील

1– गनपत पुत्र खुन्दा अहिरवार
2– हरपा पुत्र खुन्दा अहिरवार
3– पप्पू पुत्र खुन्दा अहिरवार
निवासी ग्राम धनवाहा तहसील व
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ----आवेदकगण

विरूद्ध

1– रमेश पुत्र कूरा कुशवाह
2– मौनलाल पुत्र कूरा कुशवाह
ग्राम धनवाहा तहसील व
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री अनिल श्रीवास्तव)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री आर0एस0सेंगर)

आ दे श
(आज दिनांक 5–11–2015 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 88 अ 70/2001–02 अपील में पारित आदेश दिनांक 20–9–2004 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अनावेदकगण के स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम धनवाहा स्थित भूमि सर्वे 13/14/1 रकबा 1.218 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त

भूमि सम्बोधित किया गया है) है , जिस पर आवेदकगण का कब्जा होने के कारण अनुविभागीय दण्डाधिकारी, टीकमगढ़ के यहां प्रकरण क्रमांक 162/जे.टी./98 प्रचलित हुआ एंव आदेश दिनांक 3-5-2000 से अनावेदकगण के पक्ष में निराकृत होकर आवेदकगण का बेजा कब्जा पाया गया, फलस्वरूप अनावेदकगण ने तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 250 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा हटाने की मांग की, जिस पर तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 7 अ 70/2000-01 दर्ज किया एंव पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 14-5-2001 पारित करके आवेदकगण को कब्जा हटाने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील क्रमांक 189/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 5-10-2001 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व आवेदकगण ने द्वित्तीय अपील आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रकरण क्रमांक 88 अ 70/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-9-2004 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 2 अ 12/95-96 में अनावेदकगण की भूमि की वादग्रस्त भूमि का सीमांकन हुआ है एंव इसी प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 24-5-98 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की गई है, जिसमें

अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का कब्जा होना पाया गया है। तहसीलदार का सीमांकन आदेश दिनांक 24-5-98 निगरानी के अभाव में अंतिम रूप ले चुका है। इसके अतिरिक्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 162/जे. टी./98 में पारित आदेश दिनांक 3-5-2000 से भी अनावेदकगण की भूमि पर आवेदकगण का बेजा कब्जा होना प्रमाणित हुआ है । तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्रकरण क्रमांक 7 अ 70/2000-01 में उभय पक्ष की सुनवाई की है जहां आवेदकगण वादग्रस्त भूमि को स्वयं की होना अथवा अनावेदकगण की भूमि पर अतिक्रमण न करना प्रमाणित नहीं कर सके हैं जिसके कारण आदेश दिनांक 14-5-2001 से आवेदकगण का कब्जा हटाने के आदेश दिये गये हैं इन्हीं कारणों से अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ ने अपील क्रमांक 189/2000-01 में आदेश दिनांक 5-10-2001 से तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने प्रकरण क्रमांक 88 अ 70/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-9-2004 से तहसीलदार का आदेश विधिवत् पाने के कारण हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 88 अ 70/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 20-9-2004 विधिवत् पाये जाने से स्थिर रखा जाता है।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर